



JKG EXIMCON  
PVT LTD



# निर्यात आयात सलाहकार

एक छत के नीचे वन स्टॉप समाधान



[www.jkgexim.com](http://www.jkgexim.com)

# डीजीएफटी

## सीमा शुल्क और जीएसटी मामले के संबंध में परामर्श

JKG टीम व्यवसायिक घरानों को डीजीएफटी/सीमा शुल्क/जीएसटी विभागों से आवश्यक लाइसेंस, प्रमाण पत्र और अन्य योजना लाभ तेजी से और परेशानी मुक्त तरीके से प्राप्त करने में मदद करती है। हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सूची यहां दी गई है;

- आईईसी(IEC) जारी करना
- निर्यात संवर्धन परिषद में पंजीकरण
- ईपीसीजी लाइसेंस प्राप्त करना और ईपीसीजी लाइसेंस निर्वहन करना।
- अग्रिम प्राधिकरण प्राप्त करना और अग्रिम प्राधिकरण का निर्वहन करना
- RODTEP/ROSCITL, शुल्क वापसी लाभ आदि प्राप्त करना
- उद्यम(UDYAM) पंजीकरण/आईईएम पंजीकरण
- एफएसएसआई(FSSAI) पंजीकरण
- ट्रेडमार्क/कॉपीराइट पंजीकरण
- ब्याज समानीकरण योजना (IES) प्रमाणपत्र प्राप्त करना।
- एक्सपोर्ट हाउस स्टेटस सर्टिफिकेट जारी करना
- उद्गम प्रमाणपत्र जारी करना (अधिमान्य/गैर-अधिमान्य)
- जीएसटी रिफंड सहित जीएसटी संबंधित सेवाएं
- आइस गेट, एडी कोड और पीएफएमएस/आईएफएससी पंजीकरण
- निर्यात से संबंधित अन्य सभी सेवाएं



क्या हमें

## अनोखा बनाता है?

### एंड-टू-एंड सेवा

सरकारी दस्तावेजों और लाइसेंस को सुरक्षित करना एक समय लेने वाला कार्य है और कभी-कभी सब्सिडी जैसे लाभों का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाता है जब परियोजना परिपक्व होती है। JKG टीम इस अवधि के दौरान परियोजना के स्पष्ट रूप से पूरा होने और इसकी नियत कागजी प्रक्रिया तक आपकी सहायता करती है।

### सभी ग्राहकों का ध्यान

आवेदन और उसके बाद की कागजी कार्रवाई कड़ी जांच के अधीन होती है, उन्हें तैयार करने में अनुभव और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और हम इसे दैनिक आधार पर करते हैं। JKG के अधिकारी प्रक्रिया के माध्यम से नेविगेट करने और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित पेशेवर हैं।

### दीर्घकालिक प्रतिबद्धता

प्रलेखन आपकी परियोजना को हरी झंडी देने में एक अभिन्न भूमिका निभाता है। चूंकि कागजी कार्रवाई कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कड़ी जांच की प्रक्रिया से गुजरती है, इसलिए एक छोटी सी गलती पूरे आवेदन की अस्वीकृति के बराबर हो सकती है। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि दस्तावेज़ीकरण की प्रक्रिया सही है और समाप्ति का कोई कारण नहीं छोड़ता है और यह भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे ग्राहक को लागू होने पर पूरा लाभ मिले।

### सिंगल विंडो सर्विस

सही ढंग से किए गए सभी दस्तावेजों के साथ एक पूर्ण आवेदन के लिए चार्टर्ड जैसे क्षेत्रों के पेशेवरों के एक पूरे समूह की सहायता और भागीदारी की आवश्यकता होती है चार्टर्ड लेखाकार, इंजीनियर, बैंक कर्मचारी, वकील आदि। JKG टीम के व्यापक नेटवर्क के लिए धन्यवाद, एक ऐसा समुदाय जहां आवेदन की सभी आवश्यकताएं एक ही खिड़की के भीतर पूरी की जाती हैं।

आपको हमें क्यों

# चुनना चाहिए?

## गहरा ज्ञान

सरकार की नीतियों और विभिन्न सार्वजनिक एजेंसियों की भूमिका का गहरा ज्ञान।

## योग्य पेशेवर

हम सफल अनुमोदनों को नेविगेट करने में बेंचमार्क सफलता दर वाले योग्य और अनुभवी पेशेवरों की एक टीम हैं।

## 40 साल का अनुभव

40 वर्षों का अनुभव और इसलिए DGFT, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क / GST से संबंधित विषय में विशेषज्ञता।

## सॉफ्टवेयर सक्षम सेवा

हम परिष्कृत ईआरपी और अन्य सॉफ्टवेयर सिस्टम से अच्छी तरह वाकिफ हैं जो हमें तेज और कुशल सेवाएं प्रदान करने में सहायता करते हैं।

## ईपीसीजी योजना पर संक्षिप्त दिशानिर्देश

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि ईपीसीजी योजना नामक एक योजना है जो स्वदेशी (जीएसटी) और आयातित पूंजीगत सामान दोनों की खरीद पर उपलब्ध है और किसी भी नई इकाई, पुरानी इकाई या विस्तार के लिए जा रही इकाई के लिए उपलब्ध है। यह योजना किसी अन्य सब्सिडी/योजना के अतिरिक्त उपलब्ध है और यह किसी अन्य सब्सिडी/योजना या निर्यात लाभों के साथ संघर्ष नहीं करती है।

### स्वदेशी आपूर्तिकर्ता से खरीद के लिए

यदि इस ईपीसीजी योजना को एक इकाई द्वारा स्वदेशी पूंजीगत सामान/मशीनरी की खरीद (अर्थात् कर चालान जारी करने से पहले) से पहले चुना जाता है, तो सरकार ईपीसीजी होल्डर (अर्थात् राइस मिल/आटा मिल/एफआरके प्लांट/इथेनॉल संयंत्र/पशु चारा संयंत्र इत्यादि) को स्थापना तारीख से आरटीजीएस के माध्यम से 60 दिनों (लगभग) के भीतर 100% जीएसटी राशि वापस कर देगी।

ईपीसीजी योजना के लाभ उपलब्ध नहीं होंगे, यदि ईपीसीजी जारी करने से पहले भारतीय पूंजीगत सामान/मशीनरी की खरीद के खिलाफ टैक्स चालान पहले से ही उत्पन्न हो गया है।

यदि आप ईपीसीजी योजना के लाभ का विकल्प चुन रहे हैं, तो कृपया सुनिश्चित करें कि ईपीसीजी और अमान्यता पत्र/आदेश जारी होने के बाद ही आपके स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कर चालान जारी किया जाता है।

### विदेशी आपूर्तिकर्ता से खरीद के लिए (आयात)

आयातित पूंजीगत सामान/मशीनरी के मामले में आईजीएसटी सहित 100% आयात शुल्क और अन्य लागू शुल्कों को ईपीसीजी योजना के तहत छूट दी जाएगी यानी कोई शुल्क नहीं देना होगा।

### अन्य शर्तें:

ईपीसीजी योजना के तहत, बचाए गए शुल्क के छह गुना के बराबर निर्यात दायित्व को 6 साल की अवधि में पूरा करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, यदि आवश्यक हो, तो ईपीसीजी धारक द्वारा दो और वर्षों की निर्यात दायित्व अवधि का लाभ उठाया जा सकता है।

प्रत्यक्ष निर्यात या तीसरे पक्ष के निर्यात द्वारा निर्यात दायित्व को पूरा करने का लचीलापन है।

सरकार ने हाल ही में INR वोस्ट्रो खाता तंत्र के तहत नेपाल, भूटान और अन्य देश को INR में किए गए निर्यात की अनुमति दी है और इसलिए निर्यात दायित्व अब इन देशों को निर्यात करके INR में भी पूरा किया जा सकता है, जो पिछले 30 वर्षों में अनुमति नहीं थी, जो कि एक है ईपीसीजी योजना के तहत नई इकाई या इकाई के विस्तार के लिए जा रहे सभी क्षेत्रों के लिए राहत का स्वागत है।

इस ईपीसीजी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कृपया बेझिझक हमसे संपर्क करें

*More than  
600 Rice/Flour Mills  
clients of ours have been  
benefitted under the  
EPCG scheme  
in last 10 years*

# हमारे ग्राहक



Serving always for the best, by the best & to the best.

In case you need any additional information,  
please feel free to call us.

Head Office: 37E Ramananda Chatterjee Street, Kolkata - 700 009

+91 9830 042 603    office@jkgexim.com

Branch Office: 1st floor, Ajay Bhawan, Lohamandi, Maldahiya,  
Varanasi - 221002

+91 8100 747 106    varanasi@jkgexim.com